हरियाणा पुराने वाहनों का निपटान और पुनर्चक्रण करेगा

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने पुराने वाहनों के उचित **निपटान और पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करने तथा** प्रदूषण को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये **वाहन स्क्रैपेज और पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति, 2024** को अधिसूचित किया है।

मुख्य बिंदु

- **निर्णय: परिचय**
  - उल्लेखनीय है कि **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)** ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में डीजल वाहनों के लिये 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के लिये 15 वर्ष की सीमा निर्धारित की है।
  - इस विनियमन के कारण **निष्प्रयोज्य वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई,** जिसके कारण हरियाणा सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी।
- **पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ:**
  - इस नीति का उद्देश्य **प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की रक्षा करना तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।**
  - वाहन मालिकों को वित्तीय लाभ मिलेगा तथा जनता को सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर अव्यवस्थित खड़े रहने वाले लावारिस वाहनों से राहत मिलेगी।
- **औद्योगिक योजना के रूप में कार्यान्वयन:**
  - राज्य सरकार **इस नीति को एक औद्योगिक योजना के रूप में क्रियान्वित करने की योजना बना रही है,** जिसमें नई औद्योगिक इकाइयों के लिये पूंजीगत सब्सिडी या राज्य जीएसटी प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहन शामिल होंगे।
  - उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, **हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) के माध्यम से 10 वर्षीय भूमि पट्टे का मॉड्यूल विकसित करेगा।**
- **उद्यमियों के लिये वित्तीय सहायता:**
  - सरकार उद्यम पूंजी निधि के लिये स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और **अनुसूचित जाति** वर्ग के उम्मीदवारों को परियोजना लागत **(भूमि को छोड़कर) के 10% के** बराबर **20 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।**
  - D-श्रेणी के औद्योगिक ब्लॉकों में संपूर्ण स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति की पेशकश की जाती है, जबकि B और C ब्लॉकों में 75% प्रतिपूर्ति की जाती है।
- **उत्कृष्टता एवं कौशल विकास केंद्रों के लिये प्रोत्साहन:**
  - सरकार **उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिये परियोजना लागत का 50% अनुदान, अधिकतम 5 करोड़ रुपए, प्रदान करेगी।**
  - राज्य में **युवाओं के कौशल विकास और रोज़गार में योगदान देने वाले 10 उद्योगों** को अतिरिक्त 50 लाख रुपए दिये जाएँगे।

//

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन मामलों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष निकाय है।

परिचय

- **स्थापना:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत
- **उद्देश्य:** पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान
- **मामले का समाधान:** 6 माह के अंदर
- **मुख्यालय: नई दिल्ली (मुख्यालय)**, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई

संरचना

- **संरचना:** अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य
- **कार्यकाल:** 5 वर्ष तक/65 वर्ष की आयु तक (पुनर्नियुक्ति नहीं)
- **नियुक्तियाँ:** अध्यक्ष - केंद्र सरकार (भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से)
  - 10-20 न्यायिक सदस्य और 10-20 विशेषज्ञ सदस्य - चयन समिति

भारत विश्व स्तर पर तीसरा देश है (ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद) साथ ही NGT जैसा विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश भी है।

शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

- **अधिकार क्षेत्र:** पर्यावरण संबंधी मुद्दों और अधिकारों पर दीवानी मामले
- **स्वप्रेरणा से अधिकार (Suo Motu Powers):** वर्ष 2021 से प्रदान किये गए
- **भूमिका:** न्यायिक, निवारक और उपचारात्मक
- **प्रक्रिया:** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है
  - CPC, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत बाध्य नहीं
- **सिद्धांत:** सतत् विकास; निवारक (Precautionary); प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays)
- **आदेश:** सिविल कोर्ट के आदेशों के अनुसार निष्पादन योग्य; राहत और मुआवज़ा प्रदान करता है **(निर्णय बाध्यकारी हैं)**
- **अपील:** अधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
  - यदि निर्णय विफल हो जाता है - 90 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिये

NGT निम्नलिखित के तहत सिविल मामलों का समाधान करता है

- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- जैव-विविधता अधिनियम, 2002

दृष्टि The Vision | Drishti IAS

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-to-dispose-and-recycle-old-vehicles